

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना  
पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत देवाली

-: आदेश :-

क्रमांक: 5505

दिनांक: 06-04-22

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 15 KWM एवं भू-अभिलेख निरीक्षक रोहरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार घड़साना / नायब तहसीलदार घड़साना की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 17 KWM तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 में खाता सं. 6, 11, 12, 45 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।)
1	2	3	4	5
1	17 KWM	6	रज- SBBJ (MJB) पु.म. घड़साना	रज- SBI (MJB) घड़साना
2	"	11	रज- SBBJ (ADB) पु.म. घड़साना	रज- SBI (ADB) घड़साना
3	"	12	रज- SBBJ (ADB) पु.म. घड़साना	रज- SBI (ADB) घड़साना
4	"	45	रज- MGB शाखा घड़साना	रज- राजस्थान मकभरा प्राणीय भंड शाखा घड़साना

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

दिनांक: 06-04-22

क्रमांक/रीडर/प्र.गां.सं.अ./2021/5506  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार घड़साना/रावला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना